



प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
श्रम चिकित्सा सेवाएं उ0प्र0,
सर्वोदय नगर कानपुर।

श्रम अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 21 सितंबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: बी-13/बजट/पुनर्विनियोग/2026/14958, दिनांक 13.08.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-76 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी-102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 05-चिकित्सालय-01-एलोपैथिक चिकित्सालय की 01-वेतन मद से रूपया 2,00,00,000/- (रूपया दो करोड़), 03-मंहगाई भत्ता मद से रूपया 1,00,00,000/- (रूपया एक करोड़), 102-होम्योपैथ की 01-वेतन मद से रूपया 60,00,000/- (रूपया साठ लाख) एवं 03-मंहगाई भत्ता मद से रूपया 44,39,000/- (रूपया चौवालिस लाख उन्तालीस हजार) अर्थात् कुल रूपया 4,04,39,000/- (रूपया चार करोड़ चार लाख उन्तालीस हजार) संक्रमित कर 03-अधिष्ठान की 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद मद में रूपया 8,00,000/- (रूपया आठ लाख), 49-चिकित्सा व्यय मद में रूपया 27,77,000/- (रूपया सत्ताईस लाख सतहत्तर हजार), 04-क्षेत्रीय कार्यालय की 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद मद में रूपया 19,62,000/- (रूपया उन्नीस लाख बासठ हजार), 05-चिकित्सालय-01-एलोपैथिक चिकित्सालय की 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद मद में रूपया 60,18,000/- (रूपया साठ लाख अटठारह हजार), 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रूपया 2,84,43,000/- (रूपया दो करोड़ चौरासी लाख तैंतालीस हजार) एवं 101-आयुर्वेद की 49-चिकित्सा व्यय मद में रूपया 4,39,000/- (रूपया चार लाख उन्तालीस हजार) अर्थात् कुल रूपया 4,04,39,000/- (रूपया चार करोड़ चार लाख उन्तालीस हजार) की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
- (2) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) निदेशालय द्वारा वेतन एवं मंहगाई भत्ता मदों से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः इस संबंध में निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष के दौरान इन मदों में धनराशि कम नहीं पड़ेगी।
- (4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद हेतु आवश्यकतानुसार आहरित कर इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (6) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण एवं उपयोग की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये निदेशालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2210011020300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	076	2210011020300 अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
2	076	2210011020300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	27,77,000 (रुपये सत्ताईस लाख सतहत्तर हजार मात्र)
	कुल			35,77,000 (रुपये पैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 2210011020400 (क्षेत्रीय कार्यालय)

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
--	--------	-------------	---------	----------------

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	संख्या			
1	076	2210011020400 क्षेत्रीय कार्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	19,62,000 (रुपये उन्नीस लाख बासठ हजार मात्र)
2	कुल			19,62,000 (रुपये उन्नीस लाख बासठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210011020501 (एलोपैथिक चिकित्सालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	076	2210011020501 एलोपैथिक चिकित्सालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60,18,000 (रुपये साठ लाख अठारह हजार मात्र)
2	076	2210011020501 एलोपैथिक चिकित्सालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,84,43,000 (रुपये दो करोड़ चौरासी लाख तैतालीस हजार मात्र)
	कुल			3,44,61,000 (रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख इकसठ हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2210021010301 (चिकित्सालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	076	2210011020501 एलोपैथिक चिकित्सालय	49 चिकित्सा व्यय	4,39,000 (रुपये चार लाख उनतालीस हजार मात्र)
	कुल			4,39,000 (रुपये चार लाख उनतालीस हजार मात्र)

महायोग	4,04,39,000 (रुपये चार करोड़ चार लाख उनतालीस हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स
विशेष सचिव।

संख्या- 09/2026/1555(1)/36-6-2026 /003-2069940तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2-वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकर, लेखा परीक्षा प्रथम, उ०प्र०प्रयागराज।
- 3-क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सर्वोदयनगर, कानपुर।
- 4-मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, क०रा०बी० योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएँ, उ०प्र०, कानपुर।
- 5-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं कानपुर।
- 6-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7-श्रम अनुभाग 4
- 8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, 2 (तीन प्रतियों में)
- 9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव सूरत
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।